

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), चित्तौड़गढ़

क्रमांक:-रसद/एफ.पी.एस. नियुक्ति/विज्ञप्ति/2025/383

दिनांक: 26/09/2025

विज्ञप्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य विभाग के पत्रांक एफ.17(1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016, एफ. 17(5) खा.वि./न्याय/महि.आर/2019 दिनांक 25.11.2020 एवं जयपुर के पत्रांक/क्रमांक/एफ.17(1) खा.वि./न्याय/2025 दिनांक 27.05.2025, 13.06.2025 एवं 03.07.2025 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देशों के तहत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खंड 3(1) के तहत नवीन प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में जिला रसद कार्यालय से 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा कराकर प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र विहित रीति से भरे जाकर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 30/09/25 तक कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में पात्रता संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति व घोषणा पत्र के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ में जमा करवाये जा सकेंगे। रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	नाम तहसील	क्र. स.	ग्राम पंचायत/वार्ड	रिक्त/ अतिरिक्त	आरक्षण की स्थिति
1	चित्तौड़गढ़	1	पुराना वार्ड नं० 13 (नगरपरिषद् चित्तौड़गढ़) तेजाजी चौक, प्रतापनगर क्षेत्र	रिक्त	
2.		2	पुराना वार्ड नं० 14 (नगरपरिषद् चित्तौड़गढ़) मीठाराम जी का खेडा क्षेत्र	रिक्त	
3		3	जीएसएस सेंटी, (ग्रा० पं० ओछडी)	रिक्त	
4		4	ऐराल (ग्रा० पं० ऐराल)	रिक्त	महिला
5	बस्सी	1	भैरुसिंह जी का खेडा (ग्रा० पं० बस्सी)	रिक्त	महिला
6		2	घोसुण्डी (ग्रा० पं० घोसुण्डी)	रिक्त	
7	गंगरार	1	करतियास (ग्रा० पं० मण्डपिया)	रिक्त	महिला
8		2	धोली (ग्रा० पं० तुम्बडिया)	रिक्त	
9	बेंगू	1.	मोतीपुरा (ग्रा० पं० मोतीपुरा)	रिक्त	
10	राशमी	1.	लसाडिया कंला (ग्रा० पं० लसाडियाकंला)	रिक्त	
11	भदेसर	1.	आक्या (ग्रा० पं० आक्या)	रिक्त	
12		2	गरदाना (ग्रा० पं० गरदाना)	रिक्त	महिला
13	डूंगला	1	मोरवन (ग्रा० पं० मोरवन)	रिक्त	
14		2	किशनकरेरी (ग्रा० पं० किशनकरेरी)	रिक्त	
15		3	देवली (ग्रा० पं० पीराना)	रिक्त	महिला
16		4	संगेसरा (ग्रा० पं० संगेसरा)	रिक्त	
17	निम्बाहेडा	1	जीएसएस गादोला (ग्रा० पं० गादोला)	रिक्त	
18		2	अरनियाजोशी (ग्रा० पं० अरनियाजोशी)	रिक्त	

Signature valid

Digitally signed by Ajay Ranjan
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.09.25 15:35:15 IST
Reason: Approved



उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ.17 (1)खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 ; 25.11.2020 एवं 10.05.2025 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03.2016, 25.11.2020 एवं 10.05.2025 के दिशा-निर्देशों तथा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय चित्तौड़गढ़ में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदनकर्ताओं की पात्रताएं निम्नानुसार होगी -

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जायेगी, जिसमें उचित मूल्य दुकान स्थित है।

उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान की आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. आवेदक की 'शैक्षणिक योग्यता एवं कम्प्यूटर में राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का 3 माह आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।' यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा,। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा पत्र भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के छः माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्ति को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।

3. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा-स्वामित्व-किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

4. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के दिनांक 1 जनवरी 2015 को प्राप्त पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि पत्रों में दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन को अयोग्य माना जाएगा।

Signature valid
Digitally signed by Alok Ranjan
Date: 2025.09.25 15:35:15 IST
Reason: Approved

- दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा होती है तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाये।
5. आवेदक को दुकान आवंटन के उपरान्त जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 गुना 20 बराबर 200 फीट न्यूनतम होना आवश्यक है। इस वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिन्ट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
6. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणापत्र लिया जावेगा –
- आवेदक पूर्व में ईसी एक्ट के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
 - आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जायेगा।
 - आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता-पिता पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।
 - आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
 - आवेदक स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है।
 - आवेदक बालिग एवं स्वस्थचित है, चाल-चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
 - आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/- रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000/- होना आवश्यक है।
8. महिला स्वयं सहायता समूह, जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव के आंकलन के निम्न आधार होंगे।
- समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।
 - समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो।
 - समूह के सदस्य तीन वर्षों से आंतरिक लेन-देन में संलग्न हो।
9. आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
10. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (बृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
11. प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति के मामले में) को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

Signature valid

Digitally signed by Alok Ramesh
Magistrate
Date: 2025.09.25 15:35:15 IST
Reason: Approved

होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य अर्हता होगी।

12. आवेदक द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

उक्त रिक्तियों में कमी/बढ़ौतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

13. सभी रिक्त/अतिरिक्त दुकानों हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदको को कार्यालय में जमा करवाने होंगे। पूर्व में जारी विज्ञप्ति के तहत जमा आवेदन पत्र मान्य नहीं हैं।

(आलोक रंजन)
जिला कलेक्टर (रसद)
चित्तौड़गढ़

क्रमांक:-रसद/एफ.पी.एस. नियुक्ति/विज्ञप्ति/2025/

दिनांक : .

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
4. ए.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाइट food.raj.nic.in पर अपलोड करावे।
5. माननीय सांसद महोदय चित्तौड़गढ़।
6. माननीय विधायक महोदय चित्तौड़गढ़/बेंगू/निम्बाहेडा/कपासन
7. उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़/बेंगू/निम्बाहेडा/कपासन
8. तहसीलदार चित्तौड़गढ़/बस्सी/गंगरार/बेंगू/राशमी/भदेसर/डुंगला/निम्बाहेडा।
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति चित्तौड़गढ़/बेंगू/निम्बाहेडा/कपासन
10. प्रबंधक राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम चित्तौड़गढ़।
11. सहायक निदेशक जिला सम्पर्क कार्यालय चित्तौड़गढ़ को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करावें।
12. प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़/बेंगू/निम्बाहेडा/कपासन
13. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Alok Ranjan
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.09.25 15:35:15 IST
Reason: Approved